# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा** आर.ए.एस.

**अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 607/2016**

1. श्यामसिंह पुत्र श्री टेकसिंह जाति अरोड़ा निवासी 28 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. नरेश कुमार पुत्र श्री किशनराम जाति अरोड़ा निवासी 28 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरजन्टसिंह पुत्र श्री मोहरसिंह जाति जटसिख निवासी 28 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. कुलवन्तसिह पुत्र श्री मोहरसिंह जाति जटसिख निवासी 28 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. टेकसिंह पुत्र श्री कोयरसिंह जाति जटसिख निवासी 28 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – **प्रार्थीगण**

## –:: बनाम ::–

1. कुलवन्त कौर पत्नी जोगेन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी गांव जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. सुखदेव कौर पत्नि श्री हरचन्द सिंह जाति जटसिख निवासी गांव जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. जसपाल कौर पत्नि श्री हरचन्द सिंह जाति जटसिख निवासी गांव जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – **अप्रार्थीगण**

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

## बाबत रास्ता

## –:: उपस्थित अभिभाषक ::–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री नरेश कुमार गाबा अधिवक्ता | प्रार्थीगण |
| 2. | श्री सुभाष मिढ़ा अधिवक्ता | अप्रार्थी संख्या 1 |
| 3. | श्री प्रदीप कुमार सिहाग अधिवक्ता | अप्रार्थी संख्या 2 व 3 |

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

## – :: निर्णय ::–

दिनांक :– 24.06.2017

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण चक 28 जी.जी. तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 7 व 8 के काश्तकार हिस्सेदारान है

प्रार्थीगण के उक्त रकबा के लिये कोई रास्ता स्वीकृतशुद्धा नहीं है प्रार्थीगण के उक्त रकबा के साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की भूमि चक 28 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 56 के मुरब्बा नम्बर 19 व 14 प्रत्येक के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में जब से नहर आई है तब से रास्ता चल रहा है। और प्रार्थीयान इसी रास्ते से

लगातार ..... 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

अपनें रकबा में आते जाते है। परन्तु गैर सायलान मुरब्बा नम्बर 14 के काश्तकार कुलवन्तकौर बेवा जोगेन्द्रसिंह व मुरब्बा नम्बर 19 के काश्तकार सुखदेव कौर व जसपाल कौर नें आपस में मिलिभगत करके मुरब्बा नम्बर 14 व 19 के बीच चल रहे रास्ते में अवरोध पैदा कर रहे है जिससे प्रार्थीयान को भारी परेशानी हो रही है तथा प्रार्थीयान के रकबा में आनें जानें का कोई रास्ता नहीं है प्रार्थीयान उक्त रास्ते को स्वीकृत करवाना चाहते है।

अतः अपनें रकबा के लिये प्रार्थीयान को मुरब्बा नम्बर 14 व 19 प्रत्येक के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि के खाते से सम्बंधित समस्त खातेदारान को पक्षकार बनाया गया है

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया शामिल पत्रावली किया गया जबाब प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत कथन किया गया कि मुरब्बा नम्बर 14 व 19 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में कभी भी रास्ता चालू नहीं रहा है। प्रार्थीगण द्वारा उत्तरदात्ता जो कि एक उम्रदराज औरतजात है बेवहज परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उत्तरदादाता के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष वाद संख्या 230/2015 अनवानी टेकसिंह बनाम सुखेदवकौर एवम वाद संख्या 257/2015 अनवानी करनैलकौर बनाम बलदेवसिंह लम्बित है। जिसमें आगामी तारिख पेशी 06.09.2016 निश्चित है। विधिनुसार जब तक उक्त दोनों प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निस्तारित नहीं हो जाते तब तक वर्तमान प्रार्थनापत्र का निस्तारण किया जाना उचित नहीं है इस चक के मुरब्बा नम्बर 13 के काश्तकार द्वारा अपनी कृषि भूमि में आनें जानें हेतु मुरब्बा नम्बर 20 में से किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 व मुरब्बा नम्बर 19 के किलान नम्बर 25 में रास्ता चाहा गया है अगर धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र अनवानी करनैल कौर बनाम बलदेवसिंह स्वीकार हो जाता है तो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अनवानी प्रार्थना पत्र का निस्तारण स्वतः ही हो जायेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौराने बहस उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र तथा जबाब प्रार्थना पत्र को दोहराया गया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त रास्ते से सम्बंधित अन्य विचाराधीन पत्रावली संख्या 230/2015 अनवान टेकसिंह बनाम सुखेदव कौर में मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 15, 16, 25 में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है, तथा पत्रावली संख्या 785/2016 अनवान मंगुसिंह बनाम कुलवन्तकौर में मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 5, 6 में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है इस कारण प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को आगे बढ़ाया जाना न्यायोचित है।

## — :: आदेश ::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 28 जी.जी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में मन्जूर शुद्धा रास्ते को आगे बढ़ाते हुए मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है, जिसका मुआवजा स्वरूप डी.एल.सी. दुगना प्रार्थीगण सम्बंधित काश्तकारान को अदा करेंगें।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार ..... 3

प्रार्थीगण द्वारा मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाये जानें के उपरान्त राजस्व अभिलेख में रास्ता का अंकन किया जाकर सम्बंधित काश्तकारान को तहसीलदार अपनें स्तर पर उनके हिस्सा अनुसार राशि का वितरण करेगें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 24.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत खुले न्यायालय में में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर